

कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर

क्रमांक : स्था./उ.म.नि./प्रहरी भर्ती-2015/216/2018/2969-84

दिनांक :- 13/8/18

—आदेश —

राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम- 1998 के नियम 32 के अन्तर्गत प्रहरी भर्ती परीक्षा-2015 में जयपुर मण्डल हेतु गठित चयन समिति द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को प्रहरी पद पर जयपुर मण्डल से चयन किये जाने के फलस्वरूप निम्नांकित शर्तों के अधीन राजस्थान कारागार विभाग में कार्यभार सम्भालने की तिथि से दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि पर उनके नाम के सामने अंकित कारागृह पर पदस्थापित किया जाता है।

नव नियुक्त अभ्यर्थी आधारभूत प्रशिक्षण हेतु कमाण्डेन्ट, S.T.C. B.S.F. प्रशिक्षण केन्द्र, खड़का कैम्प, ऊना रोड़, होशियारपुर (पंजाब) के समक्ष दिनांक 18.08.2018 को आवश्यक रूप से उपस्थित होंगे। साथ ही ज्वाइनिंग निर्देश में वर्णित शपथ पत्र सलग्न प्रपत्र अनुसार तैयार करवाकर एवं 6 फोटो (जो कि मेडीकल के समय प्रस्तुत की गई थी) आवश्यक रूप से साथ लेकर आवें।

क्र. सं.	रोल नं.	नाम अभ्यर्थी मय पिता का नाम	मैरिट क्रमांक	जाति श्रेणी	चयन श्रेणी	जन्म तिथि	पदस्थापन स्थान
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	31523005243	देवेन्द्र सिंह पुत्र श्री मानसिंह	7	ओ.बी.सी.	सामान्य पुरुष	12.03.1997	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
2.	31525012135	राकेश कुमार पुत्र श्री दलीप सिंह	19	ओ.बी.सी.	ओ.बी.सी. पुरुष	08.07.1989	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
3.	31526003593	अशोक कुमार पुत्र श्री नाथूराम चौधरी	44	ओ.बी.सी.	सामान्य पुरुष	28.08.1995	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
4.	31535007195	मोहन यादव पुत्र श्री बलबीर यादव	84	ओ.बी.सी.	ओ.बी.सी. पुरुष	15.07.1997	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
5.	31538007175	घनश्याम सिंघल पुत्र श्री मोहन लाल वर्मा	109	एस.सी.	एस.सी. पुरुष	10.11.1992	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
6.	31537005862	ताराचन्द वर्मा पुत्र श्री रूपचन्द वर्मा	113	एस.सी.	एस.सी. पुरुष	20.02.1993	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
7.	31526012062	विमला चौधरी पुत्री श्री नारायण चौधरी	171	ओ.बी.सी.	ओ.बी.सी. महिला	12.12.1997	केन्द्रीय कारागृह, जयपुर
8.	31521015400	सागर सिंह कलवानियां पुत्र श्री सेडूराम कलवानियां	186	ओ.बी.सी.	भू.पू. सैनिक - ओ.बी.सी.	30.05.1977	केन्द्रीय कारागृह, अलवर

- राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ-डी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधानों के तहत रुपये 12800/- प्रतिमाह की दर से नियमित पारिश्रमिक देय होगा एवं परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूर्ण करने पर ही प्रहरी पद का पे मेट्रिक्स के

लेवल-L-3 में न्यूनतम वेतन अनुज्ञात किया जायेगा। परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में पारिश्रमिक उच्चतम न्यायालय में लम्बित एस.एल.पी. 25565/2015 राजस्थान राज्य बनाम् गोपाल कुमावत के निर्णय के अध्याधीन होगा।

2. पूर्व से ही नियोजित अभ्यर्थी वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के प्रावधान के अन्तर्गत पूर्व में आहरित वेतन का विकल्प प्रस्तुत कर सकते हैं।
3. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी की कालावधि में किसी प्रकार के अन्य भत्ते अनुज्ञात नहीं होंगे एवं राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि आदि की कटौती नियमानुसार नहीं होगी।
4. वित्त विभाग के आदेश दिनांक 13.03.2006 के प्रावधान के तहत परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के द्वारा परिवीक्षा प्रशिक्षण की कालावधि सफलतापूर्वक पूरी करने के उपरान्त भी परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि की वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जावेगी।
5. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में किसी प्रकार का अवकाश देय नहीं होगा। कलैण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आकस्मिक अवकाश देय होगा। पूर्ण कलैण्डर वर्ष में कम अवधि होने पर पूर्ण माह के आधार पर आकस्मिक अवकाश देय होगा।
6. दो वर्ष की परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि सफलतापूर्वक पूर्ण होने पर नियमानुसार पद पर स्थाईकरण किया जावेगा। प्रशिक्षण एवं स्थाईकरण के संबंध में प्रचलित नियम, परिपत्र इत्यादि लागू होंगे।
7. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार परिवीक्षा प्रशिक्षण अवधि में नियत पारिश्रमिक से न्यू पेंशन स्कीम (एन.पी.एस.) में अंशदान की नियमानुसार कटौती होगी।
8. वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.15(1)एफ.डी./रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसार मेडीक्लेम इंशोरेन्स योजना प्रभावी होगी।
9. कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ.7(1)डी.ओ.पी./ए-II/95 दिनांक 08.04.2006 के अनुसार दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों के संबंध में कार्य ग्रहण करते समय शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। यदि दिनांक 01.06.2002 को व इसके पश्चात् उत्पन्न संतानों की संख्या दो से अधिक होगी तो नियुक्ति आदेश स्वतः ही निरस्त माना जावेगा।
10. अभ्यर्थी को राजस्थान दहेज प्रतिशोध अधिनियम, 2004 के अनुसार विवाहित होने पर उपस्थिति देने के समय तथा अविवाहित होने पर विवाह के पश्चात् निर्धारित प्रारूप में घोषणा पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसने कोई दहेज नहीं लिया है।
11. अभ्यर्थी को राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.7(3)कार्मिक/क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.13 की पालना में धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता (UNDERTAKING) देनी होगी।
12. अभ्यर्थियों प्रशिक्षण अवधि में या प्रशिक्षण समाप्ति से एक वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहेंगे, अन्य पद ग्रहण करना चाहेंगे तो ऐसा करने से पूर्व उन्हें प्रशिक्षण अवधि में उनके द्वारा प्राप्त समस्त वेतन एवं भत्ते व उनके प्रशिक्षण पर हुये व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करानी होंगी। अभ्यर्थी को इस संबंध में विहित प्रारूप में इस आशय का एक बन्धक पत्र निष्पादित करना होगा।

13. यह नियुक्ति राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा नियम, 1998, राजस्थान सेवा नियम एवं सरकार द्वारा समय-समय पर जारी नियमों, आदेशों व शर्तों के अधीन है।
14. अभ्यर्थियों को आधारभूत प्रशिक्षण हेतु प्रशिक्षण केन्द्र खड़का कैम्प, ऊना रोड़, होशियारपुर (पंजाब) पर उपस्थिति देने हेतु कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।
15. यह कि अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 18.08.2018 को उपस्थिति प्रदान नहीं की जाती है तो नियुक्ति स्वतः ही निरस्त समझी जावे।

(यादराम फांसल)
उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. उप शासन सचिव, गृह (ग्रुप-12) विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. महानिदेशक एवं महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान, जयपुर।
3. वित्तीय सलाहकार, महानिदेशालय कारागार, जयपुर।
4. कमाण्डेन्ट, S.T.C. B.S.F. प्रशिक्षण केन्द्र, खड़का कैम्प, ऊना रोड़, होशियारपुर (पंजाब)।
5. अधीक्षक, केन्द्रीय कारागृह, जयपुर/अलवर को उक्त अभ्यर्थियों के एन.पी.एस. फार्म एवं पे-मैनेजर हेतु भरे हुये फार्म पत्र के सलंगन प्रेषित कर लेख है कि अभ्यर्थियों को नियमानुसार पारिश्रमिक का भुगतान कराया जाना सुनिश्चित करें।
6. उपाधीक्षक प्रशिक्षण शाखा, महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर।
7. श्री/सुश्री/श्रीमती.....

.....को ज्वाइनिंग निर्देशों छायाप्रति प्रेषित कर लेख है कि बंध पत्र (पचास रुपये के स्टाम्प पर), दहेज न लेने के संबंध में, धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने एवं संतानों के संबंध में शपथ-पत्र, सलंगन प्रपत्र अनुसार, आधार कार्ड (मूल) एवं मेडीकल के समय प्रस्तुत फोटो 6 प्रति में आवश्यक रूप लेकर निर्धारित तिथि को यथा समय पर अपनी उपस्थिति आधारभूत प्रशिक्षण हेतु कमाण्डेन्ट, S.T.C. B.S.F. प्रशिक्षण केन्द्र, खड़का कैम्प, ऊना रोड़, होशियारपुर (पंजाब) के समक्ष दिनांक 18.08.2018 को आवश्यक रूप से देवें। (ज्वाइनिंग निर्देश एवं शपथ-पत्रों के प्रारूप संलग्न है)

8. संबंधित की निजी पत्रावली /रक्षक पत्रावली।
9. कम्प्यूटर शाखा, मुख्यालय कारागार, जयपुर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

उप महानिरीक्षक कारागार
रेंज, जयपुर

प्रहरी भर्ती 2015 में चयनित अभ्यर्थियों को प्रहरी पद पर उपस्थित होने के संबंध में ज्वॉइनिंग निर्देश

1. चयनित अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र में अंकित प्रशिक्षण केन्द्र पर निर्धारित तिथि दिनांक 18.08.2018 को उपस्थित होंगे।
2. उपस्थित होते समय निम्नांकित मूल दस्तावेज (यदि पूर्व में जमा नहीं करवाए गए हों) तो अपने साथ लावें। इसके अभाव में नियुक्ति पर उपस्थिति मान्य नहीं होगी।
 - आयु प्रमाण पत्र। (सैकण्डरी परीक्षा प्रमाण पत्र)
 - जाति प्रमाण पत्र। (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग)
 - शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र व अंकतालिका।
 - मूल निवास प्रमाण पत्र।
 - यदि पूर्व में कहीं कार्यरत हैं तो पूर्व नियोक्ता द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र।
 - भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में डिस्चार्ज सर्टिफिकेट।
 - बन्ध पत्र (Bond) पचास रुपये के INDIAN-NON-JUDICIAL स्टाम्प पर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा। (निर्धारित प्रारूप विभागीय वेबसाइट <http://home.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है)
 - यदि विवाहित हैं तो दिनांक 01.02.2002 को एवं उसके पश्चात उत्पन्न संतानों के संबंध में शपथ पत्र। (विभागीय वेबसाइट <http://home.rajasthan.gov.in> पर उपलब्ध है)
 - विवाहित के द्वारा उनके "विवाह के समय दहेज नहीं लिया गया है" और अविवाहित हैं, तो उनके द्वारा "विवाह में दहेज नहीं लूंगा", का शपथ पत्र अनिवार्य रूप से देना होगा।
 - धूम्रपान एवं गुटखा सेवन न करने की वचन बद्धता शपथ पत्र।
 - 6 पासपोर्ट साईज फोटो।
3. प्रशिक्षण के लिए उपस्थित होते समय चयनित अभ्यर्थी अपने साथ अग्रिम मैस फण्ड राशि एवं अन्य व्यय के लिए रुपये 25,000/- एवं निजी उपयोग के वस्त्र, एक खाकी सिली-सिलाई टेरीकोट की वर्दी, रोजमर्रा में काम आने वाले सामान एवं बिस्तर आदि लेकर आए।
4. चयनित अभ्यर्थी अपने साथ स्वयं के बैंक खाते की पासबुक लेकर आएंगे।
5. कमाण्डेन्ट, S.T.C. B.S.F. प्रशिक्षण केन्द्र, पी.ओ. रौन, धार रोड़, (उधमपुर रेल्वे स्टेशन से 10 किमी एवं उधमपुर रेल्वे स्टेशन से पहले रामनगर रेल्वे स्टेशन से 01 किमी) उधमपुर (जम्मू कश्मीर) के कन्ट्रोल रूम दूरभाष नम्बर:- 01992-244507
6. कमाण्डेन्ट, S.T.C. B.S.F. प्रशिक्षण केन्द्र, खड़का कैम्प, ऊना रोड़, (होशियारपुर रेल्वे स्टेशन से 20 किमी) होशियारपुर (पंजाब) के कन्ट्रोल रूम दूरभाष नम्बर:- 01882-257088
7. महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर के कन्ट्रोल रूम दूरभाष नम्बर 0141-2616448, 2619202

अनुबंध बंध का प्रपत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री आयु .
..... वर्ष जाति निवासी

..... शपथ पूर्वक बयान करता/करती हूँ कि मेरा प्रहरी पद पर परिवीक्षा प्रशिक्षणार्थी के रूप में कार्यालय उप महानिरीक्षक कारागार रेंज, जयपुर के आदेश क्रमांक दिनांक के आदेशानुसार चयन हुआ है।

मेरा प्रहरी पद पर उपस्थिति दिनांक से दो वर्ष की अवधि में राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा से त्याग पत्र देना चाहूँगा/चाहूँगी तो ऐसा करने से पूर्व मुझे प्रशिक्षण अवधि में मेरे द्वारा प्राप्त समस्त वेतन व भत्ते एवं प्रशिक्षण पर हुए व्यय की राशि एक मुश्त राजकोष में जमा करवा दूँगा/दूँगी।

स्थान :

दिनांक

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

सत्यापन

मैं उपरोक्त बन्ध पत्र निष्पादनकर्त्ता सत्यापित करता/करती हूँ कि उक्त बन्ध पत्र की समस्त बातें मेरी निजी जानकारी में सही व सत्य हैं

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अनुप्रमाणित

श्री/सुश्री/श्रीमती पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री
..... आयु वर्ष, जाति निवासी
..... को अनुप्रमाणित करता हूँ।

हस्ताक्षर नोटेरी पब्लिक

धूम्रपान व गुटखा सेवन नहीं करने का शपथ पत्र का प्रारूप

शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी
..... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि "मैं धूम्रपान एवं गुटखा का सेवन नहीं करता/करती हूँ। भविष्य में भी मैं धूम्रपान एवं गुटखा आदि का सेवन नहीं करूँगा/करूँगी।

दिनांक :

हस्ताक्षर शपथकर्ता/शपथकर्त्री

संतानों की संख्या के संबंध में शपथ पत्र

मैं पुत्र/पुत्री/पत्नी निवासी
..... सशपथ बयान करता/करती हूँ कि

1. यह कि मेरे दिनांक 01/06/2002 से पूर्व संतानों की संख्या है,
जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सन्तान का नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि

2. यह है कि दिनांक 01.06.2002 के पश्चात सन्तानों की संख्या है,
जिनका विवरण निम्नानुसार है :-

क्र.सं.	सन्तान का नाम	सम्बन्ध	जन्म तिथि

हस्ताक्षर शपथकर्ता/शपथकर्ती

विवाह के समय दहेज न लेने व भविष्य में नहीं लेने के संबंध में शपथ पत्र

मैं पुत्र निवासी
..... सशपथ बयान करता हूँ कि "मेरा विवाह श्रीमति पुत्री श्री
..... से दिनांक को हुआ था। विवाह में मेरे
द्वारा किसी भी प्रकार का कोई दहेज नहीं लिया है।"

अथवा

मैं पुत्र निवासी
..... सशपथ बयान करता हूँ कि "मैं अभी अविवाहित हूँ तथा भविष्य में होने
वाले विवाह में किसी प्रकार का दहेज नहीं लूंगा।"

हस्ताक्षर शपथकर्ता